मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
(मंत्रालय) भोपाल

क्रमांक / एफ 3–10 / 26–2 / 2008 भोपाल, दिनांक 10.7.2008

प्रति,

1. कलेक्टर,
   समस्त जिले म0प्र0,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   समस्त जिला पंचायत म0प्र0
3. संयुक्त संचालक / उप संचालक,
   सामाजिक न्याय विभाग,
   समस्त जिले म0प्र0
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   समस्त जनपद पंचायत म0प्र0

विषयः– आम आदमी बीमा योजना का क्रियान्वयन ।

–0–

राज्य शासन द्वारा 31 मार्च 08 से स्वामी विवेकानंद समूह बीमा योजना समाप्त कर दी है । भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से दिनांक 2 अक्टूबर 2007 को भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए आम आदमी बीमा योजना प्रारंभ की गई है । राज्य सरकार द्वारा अपने सुझाव भेजते हुए उक्त योजना पर अपनी सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार को भेजी गई है । भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 200 / – प्रति सदस्य का वार्षिक प्रीमियम निर्धारित किया है जिसमें से रुपये 100 / – प्रति सदस्य भारत सरकार द्वारा रचित विशेष आर्थिक कोष से तथा रुपये 100 / – प्रति सदस्य के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 के लिये प्रीमियम की राशि जीवन बीमा निगम को जमा कर दिये गये है। आम आदमी बीमा योजना में सम्मिलित व्यक्तियों का बीमा संरक्षण अवधि दिनांक 1.4.08 से 31.3.09 तक होगी ।

2. उक्त योजना भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हेतु होगी । भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों की पहचान शासन के दिशा निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा की जावेगी ।

1. भूमिहीन की परिभाषा (राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 कमांक 3–(अ) पृष्ठ क0 773 के अनुसार)

(1) **भूमिहीन व्यक्ति वर्ग 1:** से तात्पर्य ऐसे वास्तविक कृषक व कृषक मजदूर से है जो इस राज्य में कम से कम 12 वर्षो से निवासी हो तथा जिसके स्वयं के पास अथवा अपने कुटम्ब के सदस्य के साथ संयुक्त रुप से कोई भूमि नहीं हो ।

स्पष्टीकरण : इस कंडिका के प्रयोजन के लिए भूमिहीन व्यक्ति के कुटुम्ब में वह स्वयं, उसकी पत्नी या पति/पुत्र, अविवाहित पुत्रियॅा, माता व पिता तथा सगे और सौतेले भाई सम्मिलित माने जावेंगे ।

(2) **भूमिहीन व्यक्ति वर्ग 2 :** भूमिहीन व्यक्ति वर्ग 2 से तात्पर्य ऐसे वास्तविक कृषक व कृषक मजदूर से है जो कि इस राज्य में कम से कम 12 वर्ष से से निवासी हो तथा जिसके के पास –

(एक) कोई भूमि न हो,

(दो) पहाड़ी अथवा पथरीली भूमि में एक हैक्टर या उससे कम असिंचित भूमि हो, अथवा

(तीन) अन्य प्रकार की भूमि में ½ हेक्टर या उससे कम असिंचित भूमि हो, अथवा

(चार) अपने परिवार के सदस्य के साथ संयुक्त रुप से उपर्युक्त (दो) अथवा (तीन) जैसी स्थिति हो, के अंतर्गत निर्धारित रकबे से कम भूमि हो, अथवा

(पॅाच) अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रुप से ऐसी भूमि, जिसमें उसका व्यक्तिगत हिस्सा उपर्युक्त (दो) अथवा (तीन) जैसी स्थिति हो, के अंतर्गत निर्धारित रकबे से कम हो,

स्पष्टीकरण : एक– भूमिहीन व्यक्ति : वर्ग 2 के उपबंधों के प्रयोजन के लिए एक हैक्टर सिंचित भूमि दो हैक्टर असिंचित भूमि के बराबर मानी जावेगी ।

हितग्राहियों के लिए निर्धारित मापदण्ड

1. केवल भूमिहीन ग्रामीण मजदूर जो योजनांतर्गत बीमित सदस्य ।
2. हितग्राही की आयु 18 से 59 वर्ष तक होगी ।
3. योजनांतर्गत बीमा सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार का मुखिया अथवा परिवार में कार्य करते हुए आय कमाने वाला सदस्य होना चाहिए ।

आयु हेतु प्रमाण – हितग्राही की आयु के प्रमाण हेतु निम्नवत् प्रमाण पत्र/कागजातों में से कोई भी एक मान्य होगा –

1. राशन कार्ड
2. जन्म प्रमाण पत्र
3. शाला प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो ।
4. मातादाता परिचय पत्र
5. परिचय पत्र/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जाब कार्ड

नोडल एजेंसी

आम आदमी बीमा योजना हेतु राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग तथा जिला स्तर के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होंगे । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अपने क्षेत्र की जानकारी एकत्रित कर प्रतिमाह आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग म0प्र0 भोपाल को प्रेषित करेंगे ।

हितग्राही को प्राप्त होने वाले लाभ

(i) योजनांतर्गत बीमित सदस्य की सामान्य मृत्यु होने, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने, दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर लाभ का प्रावधान है ।

(ii) योजनांतर्गत बीमित व्यक्ति को एक मुश्त निम्नानुसार राशि दी जावेगी –

1. सामान्य मृत्यु होने पर	–	रु0 30,000/– (रुपये तीस हजार केवल)
2. दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा स्थायी रुप से पूर्ण अपंगता होने पर	–	रु0 75,000/– (रुपये पचहत्तर हजार केवल)
3. दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या एक पांव अक्षम होने पर	–	रु0 37,500/– (रुपये सैंतीस हजार पॅाच सौ केवल)

दुर्घटना का तात्पर्य – वाहन दुर्घटना जैसे रेल, बस या अन्य कोई भी वाहन, रासायनिक दुर्घटना, प्राकृतिक अपदा, सर्पदंश, जहरील प्राणी/कीड़े द्वारा दंश, डूबकर मृत्यु, खदान में काम करते वक्त मृत्यु, फैक्टरी में काम करते समय दुर्घटनावश मृत्यु

योजना के तहत बीमित सदस्यों के बच्चों के लिए एक मुश्त एड–ऑन शिक्षावृत्ति लाभ दिया जायेगा । इसमें 9वीं से 12वीं कक्षा के अध्ययनरत केवल दो विद्यार्थी प्रति परिवार को प्रतिमाह रु0 100/– की शिक्षावृत्ति दी जायेगी ।

दावा हेतु प्रक्रिया

हितग्राही को आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत दावा हेतु योजनांतर्गत निर्धारित प्रपत्र में ही केवल आवेदन प्रस्तुत करना होगा । निर्धारित आवेदन पत्र/प्रारुप ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत/संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे तथा संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत में जमा करेंगे । जनपद पंचायत/जिला पंचायत को उन्हें प्राप्त आवेदन के साथ निम्न प्रमाण पत्र/कागजात संलग्न आवश्यक है –

1. मृत्यु प्रमाण पत्र या पोस्ट मार्टम रिपोर्ट
2. आवेदक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर होने का प्रमाण पत्र
3. पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट की प्रति
4. पुलिस फायनल रिपोर्ट

दावा प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी

दावा प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी संबंधित जनपद पंचायत जिला पंचायत होंगे । वे प्राप्त सभी आवेदन जिले के जीवन बीमा निगम के कार्यालय को प्रेषित करने के साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित आवेदनों में स्वीकृति हेतु सतत प्रयास करेंगे ।

पूर्ण रुपेण स्थायी विकलांगता का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया

आवेदक को दुर्घटना/अपघात/घटना घटित होने संबंधी डाक्यूमेंट्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । साथ ही सिव्हिल सर्जनया क्वालिफाइड शासकीय अस्थिरोग शल्य चिकित्सक (गर्वनमेंट आर्थोपेडिक सर्जन) का पूर्ण स्थायी विकलांगता या आंशिक विकलांगता दुर्घटना/अपघात से होने संबंधी प्रमाण पत्र ।

हितग्राहियों की पहचान

राज्य शासन ग्राम पंचायत के सलाह एवं सहयोग से इस योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले व्यक्तियों की पहचान करेगा । ऐसे सभी पहचान किए व्यक्तियों की संख्या अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम यूनिक आईडेंटिटी कार्ड परिचय पत्र जिला स्तरीय नोडल एजेंसी को उपलब्ध करायेगी । जिला नोडल एजेंसी पहचान किए गए सभी व्यक्तियोुं का नाम रजिस्टर में पंजीबद्ध करेंगे । इन रजिस्टरों का भारतीय जीवन बीमा निगम अवलोकन कर सकेगी । अतः निगम के प्रतिनिधियों को अवलोकन हेतु रजिस्टर उपलब्ध कराया जावे ।

योजना की निरंतरता

आम आदमी बीमा योजना केवल तब तक चालू रहेगी जब तक भारत सरकार (केन्द्र सरकार)/राज्य शासन तथा भारतीय जीवन बीमा निगम इसे चालू रखती है ।

निर्धारित आवेदन पत्र तथा आवश्यक अन्य निर्देश शीघ्र ही आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा भेजे जावेंगे ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग

पृष्ठां0 क्रमांक/एफ 3–10/26–2/2008 भोपाल, दिनांक 10.7.2008

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान0 मंत्री, सामाजिक न्याय विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. निज सहायक, मान0 मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. आयुक्त, सामाजिक न्याय संचालनालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ ।
6. श्री शिवेन्द्र कुमार, मण्डल प्रबंधक, पेंशन एवं समूह बीमा इकाई, भारतीय जीवन बीमा निगम, 60–ए, ''जीवन प्रकाश'' अरेरा हिल्स,भोपाल–462011 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग

सामाजिक न्याय संचालनालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक/आआबीयो/08/830 भोपाल, दिनांक 14.7.08

प्रति,

1. कलेक्टर,
   समस्त जिले म0प्र0,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   समस्त जिला पंचायत म0प्र0
3. संयुक्त संचालक/उप संचालक,
   सामाजिक न्याय विभाग,
   समस्त जिले म0प्र0
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   समस्त जनपद पंचायत म0प्र0

विषयः– आम आदमी बीमा योजना का क्रियान्वयन ।

संदर्भः– म0प्र0शासन, सामाजिक न्याय विभाग का पत्र क्रमांक एफ–3–10/26–2/2008 दिनांक 10.7.08

–0–

भारत सरकार मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय विभाग तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से आम आदमी बीमा योजना दिनांक 1.4.08 से प्रारम्भ की गयी है । आम आदमी बीमा योजना में सम्मिलित व्यक्तियों का बीमा संरक्षण अवधि दिनांक 1.4.08 से 31.3.09 तक होगी ।

उक्त योजना भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हेतु होगी । भूमिहीन ग्रामीण की परिभाषा उक्त संदर्भित पत्र में दर्शायी गयी है । भूमिहीन की परिभाषा (राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 क्रमांक 3 (अ) पृष्ठ क्र0 773 के अनुसार है जिसकी विवरणात्मक जानकारी म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग के पत्र क्रमांक एफ– 3–10/26–2/2008 दिनांक 10.7.2008 में दी गई है, जिसके अनुसार योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों की पहचान दिनांक 10 अगस्त 08 तक अनिवार्य रुप से कर ली जाकर उनके आवेदन भरवाये जाकर सूची संलग्न प्रपत्र में संकलित की जानी है । इस योजना के अर्न्तगत पात्र हितग्राहियों की पहचान निर्धारित समयावधि के पूर्व पूर्ण करने पर जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत को पुरुस्कृत किया जावेगा । ग्राम पंचायत सभी पात्र हितग्राहियों के आवेदन भी निर्धारित समयावधि के पूर्व भरे जाकर आवेदन संबंधित जनपदों को प्रेषित करेंगे । सभी जनपद पंचायत जिला पंचायत को आवेदन तथा एकत्रित जानकारी जिलों को प्रेषित करेंगे। पर्याप्त संख्या में आपको आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं । दावा आवेदन तथा शिक्षावृत्ति आवेदन का मुद्रण नहीं

कराया गया है, जिसका प्रारुप संलग्न है । अतः अपेक्षा है कि यह आवेदन आप अपने स्तर से संबंधित हितग्राही को छायाप्रति उपलब्ध करायें। योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों को कम्प्यूटर साफटवेयर में निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 10.8.08 के पूर्व किसी भी स्थिति में कम्प्यूटरीकृत किया जाना अनिवार्य है तथा निर्धारित आवेदन पत्रों में आपको अपने जिला स्तर पर प्रति हितग्राही को कोड क्रमांक दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

हितग्राहियों के लिये निर्धारित मापदण्ड

1. केवल भूमिहीन ग्रामीण मजदूर जो योजनान्तर्गत बीमित सदस्य,
2. हितग्राही की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक होगी ।
3. योजनान्तर्गत बीमा सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार का मुखिया अथवा परिवार में कार्य करते हुए आय कमाने वाला सदस्य होना चाहिये।

आयु हेतु प्रमाण हितग्राही की आयु के प्रमाणपत्र निम्नवत प्रमाणपत्र/कागजातों में से कोई भी एक मान्य होगा।

1. राशनकार्ड 2. जन्म प्रमाणपत्र 3. शाला प्रमाणपत्र–जिसमें जन्म तिथि अंकित हो 4. मतदाता परिचयपत्र 5. परिचयपत्र/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जाब कार्ड।

नोडल एजेन्सी

आम आदमी बीमा योजना हेतु राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग नोडल विभाग होगा तथा जिला स्तर के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होगें । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अपने क्षेत्र की जानकारी एकत्रित कर प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रतिमाह आयुक्त सामाजिक न्याय म0प्र0भोपाल को प्रेषित करेंगें ।

हितग्राही को प्राप्त होने वाले लाभ

i योजनान्तर्गत बीमित सदस्य की सामान्य मृत्यु होने,दुर्घटना केकारण मृत्यु होने,दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर लाभ का प्रावधान है ।

ii योजनान्तर्गत बीमित व्यक्ति को एक मुश्त निम्नानुसार राशि दी जावेगी :–

1. सामान्य मृत्यु होने पर	–	रु0 30,000/– (रुपये तीस हजार केवल)
2. दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा स्थायी रुप से पूर्ण अपंगता होने पर	–	रु0 75,000/– (रुपये पचहत्तर हजार केवल)
3. दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या एक पांव अक्षम होने पर	–	रु0 37,500/– (रुपये सैंतीस हजार पॅाच सौ केवल)

टीप– दुर्घटना का तात्पर्य म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय के संदर्भित पत्र में स्पष्ट किया है।

योजना के तहत बीमित सदस्यों के बच्चों के लिये शिक्षावृत्ति का लाभ दिया जावेगा। इसमें 9वीं से 12वीं कक्षा के लिये अध्ययनरत केवल दो विधार्थी प्रति परिवार को प्रतिमाह रुपये 100/– की शिक्षावृत्ति दी जायेगी । साथ ही प्राप्त होने वाले आय लाभ का विवरण शासन के संदर्भित पत्र में दिया गया है । यदि हितग्राही को शासन द्वारा वित्त पोषित किसी एक बीमा योजना का लाभ प्राप्त होगा।

आप सभी से यह अपेक्षा है कि इस जनकल्याणकारी बीमा योजना को सफल बनाने में पूर्णरुप से सक्रिय योगदान प्रदान करेंगे।

आयुक्त
सामाजिक न्याय,म0प्र0

सामाजिक न्याय संचालनालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक/जनश्रीबीयो/08/1175 भोपाल, दिनांक 19.12.08

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,म0प्र0,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत म0प्र0
3. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,
   सामाजिक न्याय, म0प्र0
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत म0प्र0
5. समस्त परियोजना अधिकारी,
   शहरी विकास प्राधिकरण म0प्र0
6. समस्त आयुक्त
   नगर निगम म0प्र0
7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत म0प्र0

विषयः— जनश्री बीमा योजना का कियान्वयन एवं संचालन।

संदर्भः— म0प्र0शासन, सामाजिक न्याय विभाग का पत्र क्रमांक 1061/1694/ 2008/26—2 दिनांक 7 अक्टूबर 2008

—0—

मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय विभाग तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से जनश्री बीमा योजना दिनांक 7.10.08 से प्रारम्भ की जानी थी । विधान सभा आम चुनाव 2008 के परिपेक्ष्य में आचार संहिता लगने को कारण योजना प्रारभ्भ नही की गई । उक्त योजना दिनांक 01.01.2009 से प्रारम्म होगी ।जनश्री बीमा योजना में सम्मिलित व्यक्तियों का बीमा संरक्षण अवधि दिनांक **01.01.2009** से **31.12. 2009** तक होगी।

उक्त योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी शहरी एवं ग्रामीण परिवारों हेतु होगी । योजना अन्तर्गत आम आदमी बीमा योजना में लाभ ले रहे वे समस्त ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को छोडकर शेष गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवार तथा समस्त गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी परिवार सम्मिलित होगें ।

योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों की पहचान दिनांक **31.01.2009** तक अनिवार्य रुप से कर ली जाकर उनके आवेदन भरवाये जाकर सूची संलग्न प्रपत्र में

संकलित की जानी है । नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत सभी पात्र हितग्राहियों के आवेदन भी निर्धारित समयावधि के पूर्व भरे जाकर आवेदन संबंधित जिला शहरी विकास प्राधिकरण एवं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत को प्रेषित करेंगे । सभी जनपद पंचायत जिला पंचायत को एवं नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला शहरी विकास प्राधिकरण को आवेदन प्रेषित करेगें । जिला पंचायत एवं जिला शहरी विकास प्राधिकरण एकत्रित जानकारी संचालनालय सामाजिक न्याय, म0प्र0 को प्रेषित करेंगें।

जनश्री योजना के लिये आवेदन पत्र तथा शिक्षावृति आवेदन पत्र निःशुल्क प्रदाय किये जावेगें । आवेदन पत्र पर्याप्त मात्रा में संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराये जावेगें। योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों को कम्प्यूटर साफ्टवेयर में निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 10.**02.2009** के पूर्व किसी भी स्थिति में कम्प्यूटरीकृत किया जाना अनिवार्य है तथा निर्धारित आवेदन पत्रों में आपको अपने जिला स्तर पर प्रति हितग्राही को कोड कमांक दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

हितग्राहियों के लिये निर्धारित मापदण्ड

1. केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी तथा ग्रामीण लोग जो इस योजनान्तर्गत बीमित सदस्य है तथा शासन द्वारा संचालित/वित्त पोषित बीमा योजना का लाभ प्राप्त न कर रहा हो ।
2. हितग्राही की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक होगी ।
3. परिवार का मुखिया यथा परिवार में कार्य करते हुए आय कमाने वाला सदस्य होना चाहिये।

आयु हेतु प्रमाण

हितग्राही की आयु के प्रमाणपत्र निम्नवत प्रमाणपत्र/कागजातों में से कोई भी एक मान्य होगा।

1. राशनकार्ड 2. जन्म प्रमाण पत्र 3. शाला प्रमाण पत्र–जिसमें जन्म तिथि अंकित हो 4. मतदाता परिचय पत्र 5. परिचय पत्र/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जाब कार्ड।

नोडल एजेन्सी

जनश्री बीमा योजना हेतु राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग नोडल विभाग होगा तथा जिला स्तर के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होगें । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अपने क्षेत्र की जानकारी एकत्रित कर प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रतिमाह आयुक्त सामाजिक न्याय म0प्र0 भोपाल को प्रेषित करेंगें ।

जनश्री बीमा योजना अन्तर्गत जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक समन्वयक के रूप में कार्य करेगें।

<u>हितग्राही को प्राप्त होने वाले लाभ</u>

i योजनार्न्तगत बीमित सदस्य की सामान्य मृत्यु होने, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने,दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर लाभ का प्रावधान है ।

ii योजनार्न्तगत बीमित व्यक्ति को एक मुश्त निम्नानुसार राशि दी जावेगी :-

1. सामान्य मृत्यु होने पर	–	रुपये 30,000/– (रुपये तीस हजार केवल)
2. दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा स्थायी रुप से पूर्ण अपंगता होने पर	–	रुपये 75,000/– (रुपये पचहत्तर हजार केवल)
3. दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या एक पांव अक्षम होने पर	–	रु0 37,500/– (रुपये सैंतीस हजार पॅाच सौ केवल)

टीप– दुर्घटना का तात्पर्य म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग के संदर्भित पत्र कमांक 1061/1694/2008/26–2 दिनांक 7 अक्टूबर 2008 में स्पष्ट किया है।

योजना के तहत बीमित सदस्यों के बच्चों के लिये शिक्षावृत्ति का लाभ दिया जावेगा। इसमें 9वीं से 12वीं कक्षा के लिये अध्ययनरत केवल दो विधार्थी प्रति परिवार को प्रतिमाह रुपये 100/– की शिक्षावृत्ति दी जायेगी । साथ ही प्राप्त होने वाले आय लाभ का विवरण शासन के संदर्भित पत्र में दिया गया है । हितग्राही को शासन द्वारा वित्त पोषित किसी एक **<u>बीमा</u>** योजना का लाभ प्राप्त होगा।

आप सभी से यह अपेक्षा है कि इस जनकल्याणकारी जनश्री बीमा योजना को सफल बनाने में पूर्णरुप से सक्रिय योगदान प्रदान करेंगे।

आयुक्त
सामाजिक न्याय,मध्यप्रदेश

क्रमांक / जनश्रीबीयो / 08 /   भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव,म0प्र0शासन, सामाजिक न्याय विभाग की ओर सूचनार्थ ।

2– प्रमुख सचिव,म0प्र0शासन,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।

3– प्रमुख सचिव,म0प्र0शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।

4– समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।

5– आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।

6– श्री शिवेन्द्र कुमार, मण्डल प्रबन्धक (पेंशन एवं समूह बीमा इकाई) भारतीय जीवन बीमा निगम 60–ए ''जीवन प्रकाश'' अरेरा हिल्स, भोपाल, 462011 की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त
सामाजिक न्याय,मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक–एफ / 1142 भोपाल, दिनांक 12.11.0

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त,
2. समस्त कलेक्टर,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत ।
4. समस्त संयुक्त संचालक / उप–संचालक
   सामाजिक न्याय विभाग । जिला कार्यालय

विषयः– मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजनान्तर्गत नोडल अधिकारियों की नियुक्ति बाबत ।

––0––

मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना दिनांक 11.10.2007 को प्रारंम्भ की गई थी । योजना के क्रियान्वयन के संबध मे समस्त आवश्यक दिशा निर्देश पूर्व में ही आपको जारी किये जा चुके है ।

शासन स्तर पर गठित इस योजना की साधिकार समिति की बैठक दिनांक 7.11.2008 को कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि योजना का क्रियान्वयन/ मानिटरिंग हेतु जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाये ।

साधिकार समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सामाजिक न्याय विभाग के जिला स्तर पर पदस्थ संयुक्त संचालक/उप संचालक को अपने कार्यक्षेत्र के जिलो में मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन/ मानिटरिंग के लिये नोडल अधिकारी के रूप में नामांकित किया जाता है ।

अतः अब भविष्य मे मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन एंव मानिटरिंग हेतु संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय को तत्काल प्रभाव से नोडल अधिकारी नियुक्ति किया जाता है।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील माना जावेगा ।

(डा0 शशि कर्णावत)
उप–सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग

क्रमांक—एफ / 1143 भोपाल, दिनांक 12.11.08

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय
2. विकास आयुक्त ,कार्यालय विध्याचंल भवन भोपाल
3. आयुक्त पंचायतराज संचालनालय म0प्र0

(डा0 शशि कर्णावत)
उप—सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक–एफ / 1–17 / 2008 / छब्बीस–2 भोपाल, दिनांक 17.12.2008

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक / उप–संचालक
जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय विभाग,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजनान्तर्गत नियुक्त किये गये नोडल अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व ।

––0––

मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिनांक 7.11.2008 को साधिकार समिति की बैठक के एजेण्डा क्रमांक–5 में लिए गए निर्णय के अनुसार योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना था ।

म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक / एफ / 1142–43 दिनांक 12.11.08 द्वारा जिले में पदस्थ संयुक्त संचालक / उप संचालक को नियुक्त किया जा चुका है । इस योजना अंतर्गत नोडल अधिकारी के निम्न कर्तव्य एवं दायित्व होंगे :–

(अ) वित्तीय कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

1. योजना संबंधी आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना ।
2. योजना संबंधी खाते की चैक बुक अपनी अभिरक्षा में रखना ।
3. मासिक आय–व्यय की जानकारी एवं भौतिक सत्यापन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में प्रतिमाह की 5 तारीख तक भिजवाना ।
4. योजना का आडिट समय पर कराना ।
5. योजनांतर्गत 5 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृति के आदेश जारी करना एवं राशि का लेखा–जोखा रखना।

(ब) प्रशासकीय कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

1. योजनांतर्गत राशि के व्यय हेतु संयुक्त रुप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं संयुक्त संचालक/उप संचालक के हस्ताक्षर से आहरण करना ।

<u>(स) तकनीकी कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व</u>

1. योजना संचालन एवं क्रियान्वयन के संबंध में प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन की व्यवस्था करना ।
2. ग्राम पंचायत स्तर पर योजनांतर्गत जारी किए गये फोटो परिचय पत्र का समय–समय पर निरीक्षण करना ।
3. पंजीयन के नवीनीकरण की जानकारी से हितग्राहियों को समय–समय पर अवगत कराना ।
4. योजना के प्रचार–प्रसार कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से समन्वय स्थापित कर समुचित व्यवस्था करना ।

चूँकि यह योजना महत्वपूर्ण होने के कारण जिले में पदस्थ संयुक्त संचालक/उप संचालक उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु पूर्ण रुप से उत्तरदायी रहेंगे ।

(डा0 शशि कर्णावत)
उप–सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग

पृष्ठां0 क्रमांक–एफ/–एफ/1–17/2008/छब्बीस–2 भोपाल, दिनांक 17.12.2008

प्रतिलिपि

1. आयुक्त सामाजिक न्याय संचालनालय मध्यप्रदेश
2. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश

– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(डा0 शशि कर्णावत)
उप–सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग